न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 97/2020 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2020/00254

गोरीलाल पिता हीरालाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रार्थी

//बनाम//

1. हुक्मीचन्द पिता हेमराज जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामेश्वरलाल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2– योगन्द्र सोंलंकी – अधिवक्ता विपक्षी नंबर 2

:: निर्णय ::

दिनांक :– 17.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके मोजा बांगरेड़ा पटवार हल्का बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 583 के आराजी नम्बर 501 रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने आराजी नम्बर 1074/333 रकबा 4 बीघा एवं आराजी नम्बर 504 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, जिसके पुराने आराजी नम्बर 335 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है, साक्ष्य में नकल जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया है। प्रार्थी हीरालाल पिता वजेराम धाकड़ निवासी चरलिया ब्राह्मणान का पुत्र है तथा वादग्रस्त आराजी हीरालाल एवं हुक्मीचंद के खातेदारी की चली आ रही थीं, तथा हीरालाल का देहान्त हो चुका है तथा हीरालालजी की पत्नी घीसी बाई का भी देहान्त हो चुका है तथा हीरालाल का एक मात्र विधिक वारिस प्रार्थी गोरीलाल धाकड़ हैं।
2. प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे [illegible] जिसके पुराने आराजी नम्बर 1074/333 रकबा 4 बीघा एवं आराजी नम्बर 335 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा है उक्त आराजी विपक्षी नम्बर 1 हुक्मीचंद एवं प्रार्थी के पिता हीरालाल पिता वजेराम धाकड निवासी चरलिया ब्राह्मणान के [illegible] 2069 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से [illegible] के दौरान प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने से रह गया जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ है। इसलिए हीरालाल का नाम नवीन राजस्व रेकार्ड में, पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जावें। हीरालाल पिता वजेराम धाकड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

निवासी चरलिया ब्राह्मणान का देहान्त हो गया है तथा हीरालालजी की पत्नी घीसीबाई का देहान्त भी हो चुका है तथा प्रार्थी अकेला ही हीरालालजी का विधिक वारिसान हैं इसलिए उक्त आराजी को विरासत से प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार, नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता हीरालाल का नाम दर्ज कर जरिये विरासत प्रार्थी का नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त किया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश किया है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता योगेन्द्र सोलंकी ने इकबाली जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को स्वीकार किया। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/855 दिनांक 29.09.2021 के माध्यम से प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट में संशोधन किये जाने की अनुशंषा के साथ प्रस्तुत की। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांगरेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2066–69 की खाता संख्या 515 में आराजी नम्बर 335 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व आराजी नम्बर 1074/333 रकबा 4 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि हुक्मीचन्द पिता हेमराज, हीरालाल पिता वजेराम धाकड़ निवासी चरलिया ब्राह्मणान के नाम दर्ज रेकार्ड थी। सेटलमेंन्ट में आराजी नम्बर 335 के नये नम्बर 504 तथा आराजी नम्बर 1074/333 के नये आराजी नम्बर 501 बने परन्तु जमाबन्दी संवत् 2071–74 बनते वक्त लिपिकीय त्रुटि से आराजी नम्बर 501 बने परन्तु जमाबंदी संवत 2071–2074 बनते वक्त लिपिकीय त्रुटि से आराजी नम्बर 501 रकबा 1.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 504 रकबा 0.95 हैक्टेयर में हुक्मीचन्द पिता हेमराज धाकड़ निवासी चरलिया ब्राह्मणान के नाम दर्ज हो गया तथा हीरालाल पिता वजेराम धाकड़ का नाम विलोपित हो गया। अतः हीरालाल पिता वजेराम धाकड़ का नाम जोड़ा जाना उचित है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने उक्त आराजीयात में हीरालाल पिता वजेराम धाकड़ का नाम जोडे जाने की अनुशंषा की है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 16:12:53 IST
Reason: SelfAttested

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम बांगरेडा की वर्तमान आराजी नम्बर 501 एवं 504 में प्रार्थी के पिता का नाम साबिक रिकार्ड अनुसार दर्ज करने हेतु निवेदन किया । तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 श्री हुक्मीचन्द पिता हेमराज ने अपना जवाव दावा पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम बांगरेडा की साबिक आराजी नम्बर 335 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1074/333 रकबा 4 बीघा भूमि विपक्षी क्रमांक 1 हुक्मीचन्द एवं प्रार्थी के पिता हीरालाल के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 504 रकबा 0.95 हैक्टेयर एवं 501 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर बने परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया हैं इसलिये अब उक्त आराजियात में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज किये जाने में मुझ विपक्षी का कोई एतराज नहीं है। साथ ही तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में साबिक रिकार्ड अनुसार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

7. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात अनुसार ग्राम बांगरेडा की साबिक जमाबंदी संवत 2066–2069 की खाता संख्या 515 में आराजी नम्बर 335 रकबा 3–15 बीघा एवं आराजी नम्बर 1074/333 रकबा 4 बीघा भूमि विपक्षी क्रमांक 1 हुक्तीचन्द पिता हेमराज तथा हीरालाल पिता वजेराम धाकड सा.चरलिया ब्राह्मणान के नाम दर्ज रिकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 501 रकबा 1.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 504 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर भूमि ग्राम बांगरेडा की जमाबंदी संवत 2071–2074 की खाता संख्या 583 में श्री हुक्मीचन्द पिता हेमराज धाकड सा. चरलिया ब्रांह्मणान के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि नवीन सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी के पिता श्री हीरालाल पिता वजेराम धाकड का नाम सहवन से दर्ज होना रह गया। अतः तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की अनुशंषा, विपक्षी क्रमांक 1 हुक्मीचन्द की सहमति एवं साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बांगरेडा की आराजी नम्बर 501 रकबा 1.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 504 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर भूमि में हुक्मीचन्द पिता हेमराज 1/2 हीरालाल पिता वजेराम 1/2 धाकड सा.चरलिया ब्राह्मणान के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.08.20[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:12:53 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा